न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)

R-3895-PBR/14

1— राधिका प्रसाद शुक्ला पिता स्व0 श्री शिव प्रसाद शुक्ला उम्र 51 वर्ष, पेशा कृषि कार्य, निवासी ग्राम पटना, पोस्ट बरौं तहसील सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0

——————निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1— नन्दलाल मिश्रा तनय श्यामसुन्दर मिश्रा निवासी ग्राम पटना, पोस्ट बरौं तहसील सेमरिया, जिला रीवा म0प्र0

———गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी विरूद्ध–नायब तहसीलदार वृत्त शाहपुर, तहसील सेमरिया, के राजस्व प्रकरण क0–7 अ 12/12–13 निर्णय दिनांक 27.06.2014

श्री..राजकुमार मिश्रा.....द्वारा आज दिनांक..30.X.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी–अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959 ई0

क्रमांक 3621
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ... को

मान्यवर,

निगरानी निम्न आधार बिन्दु अन्तर्गत प्रस्तुत है :–

1— यहकि निगरानीकर्ता/आवेदक ग्राम पटना का मूल निवासी है, जिसकी पैत्रिक भूमि 516/4 रकवा 0.168हे0 है, जिस पर निगरानीकर्ता अर्सा पूर्व 20 वर्ष पूर्व से काबिज काश्त हैं। तथा पूर्व में आवेदक के पिता आवेदित आराजी पर मौके से काबिज काश्त थे, तथा आराजी नं0–516/4 की उत्तर सीमा 01 पेड़ महुआ, 05 पेड़ आम एवं 01 पेड़ आंवला मौजूद है, जो पौधे निगरानीकर्ता के स्व0 पिता श्री शिव प्रसाद द्वारा रोपित किये गये थे, आवेदित आराजी की सरहद्दी की उत्तरी सीमा से गैरनिगरानीकर्ता की आराजी नं0–516/2 रकवा 0.101हे0 कायम है।

2— यहकि आराजी नं0–516/2 कालू तनय सुदर्शन राम साकिन पटना की पैत्रिक भूमि थी, जिसे गैरनिगरानीकर्ता ने दिनांक 14.11.1990 को उपपंजयीक कार्यालय सिरमौर में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दर्ज किया जाकर कय किया है। गैरनिगरानीकर्ता केता के पूर्व कब्जा मुताबिक वर्ष 2013–14 में भी काबिज काश्त है, लेकिन मुख्य मार्ग रीवा से ग्राम पंचायत पटना के मार्ग में जुड़ने की नियत से अनुचित रूप से अधीनस्थ न्यायालय से सांठ–गांठ कर सीमांकन की कार्यवाही कराई गई, जिसके विरूद्ध प्रथम आपत्ति न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.10.2012 को प्रस्तुत की गई थी, तत्पश्चात्

राधिका शुक्ला

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-3895/III/14 ...... जिला ...रीवा...

राधिका प्रसाद / नन्दलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-8-15	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राजकुमार मिश्रा उपस्थित। आवेदक अभिभाषक को प्रकरण में ग्राह्यता एवं धारा 5 पर सुना गया। प्रकरण में मुख्य विवाद ग्राम पटना की भूमि सर्वे क्रमांक 516/2 के सीमांकन से संबंधित है। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि भूमि सर्वे क्रमांक 516/2 के सीमांकन के संबंध में अनावेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में प्रथम आपत्ति आवेदक द्वारा दि० 9-10-12 को प्रस्तुत की गई द्वितीय आपत्ति आवेदक की पत्नी द्वारा दिनांक 11-6-12 को प्रस्तुत की गई जिसका जवाब अनावेदक के पुत्र द्वारा दिनांक 26-7-12 को दिया गया। आवेदक अभि० द्वारा बताया गया कि अनावेदक द्वारा बिना आवेदक को सूचना दिए दिनांक 9-6-14 को सीमांकन की कार्यवाही कराई गई जिस पर आवेदक द्वारा दिनांक 12-6-14 को आपत्ति प्रस्तुत की गई, किन्तु अनावेदक द्वारा न तो आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का जवाब ही दिया गया और न ही उसपर तर्क ही श्रवण किए गये। उनके द्वारा अपने तर्कों में यह भी कहा गया सीमांकन प्रकरण में आवेदक की पेशी 17-7-14 लगाई गई, इस दिनांक को आवेदक को प्रकरण प्राप्त नहीं हो सका रीडर द्वारा नियत पेशी दिनांक 17-7-14 को दि० 27-6-14 में परिवर्तित कर दिया और यह तथ्य छिपाकर सीमांकन दिनांक 9-6-14 की पुष्टि आदेश दिनांक 27-6-14 को कर दी गई जो निरस्त किए जाने योग्य होने से प्रकरण ग्राह्य किए जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत तर्कों के क्रम में मेरे द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण पत्रिका का अवलोकन किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं एवं निगरानी मेमो के संलग्न राजस्व निरीक्षक की सीमांकन रिपोर्ट पुष्टि आदेश दिनांक 27-6-14 सहित —	

[कृ. प. उ.

R.3895/III/14 रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3/8/15	अन्य संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। सूचनापत्र दिनांक 3-6-14 पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है इसी प्रकार पंचनामा पर भी आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है जिससे यह स्पष्ट है कि आवेदक को बिना बुलाये एवं बिना सूचना के सीमांकन की कार्यवाही की गई है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन दिनांक 9-6-14 की पुष्टि आदेश दिनांक 27-6-14 संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ऐसी स्थिति में सीमांकन आदेश दिनांक 27-6-14 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सूचना पत्र देकर दोनों पक्षों एवं सरहदी काश्तकारों की उपस्थिति में विधिवत सीमांकन की कार्यवाही करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	